सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **40/2018** दायर दिनाँक **12.02.2018**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. इसाक पुत्र इब्राहिम, 2. उस्मान पुत्र इब्राहिम, 3. इदरिस पुत्र इब्राहिम, समस्त,जाति—सिवालवट, निवासी—अमरपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अब्दुल रहमान पुत्र इब्राहिम, 2. दीन मोहम्मद पुत्र हुसैन, 3. अली मो0 पुत्र हुसैन, (फौत), के वारिशान्— 3/1 जेनब बानो पत्नी स्वर्गीय अली मो0, 3/2 मो0 आरिफ पुत्र स्वर्गीय अली मो0, 3/3 मो0 आसिक पुत्र स्वर्गीय अली मो0, 3/4 मोहसिन पुत्र स्वर्गीय अली मो0, 3/5 रहमत बानो पुत्री स्वर्गीय अली मो0, 3/6 बानो पुत्री स्वर्गीय अली मो0, 4. चान्द बानो पत्नी हुसैन, 5. फजलु रहमान पुत्र हुसैन, 6. मो0 रफीक पुत्र हुसैन, 7. जान मोहम्मद पुत्र हुसैन, समस्त,जाति—सिलावट, निवासी—डीडवाना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—88, 53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री अल्ताफ हुसेन, वकील, वादीगण।
2. श्री मो0 अली शेरानी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 की ओर से।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 40/2018
दायर दिनाँक 12.02.2018, निर्णय दिनाँक 06.03.2018
इसाक, वगैरा बनाम्, अब्दुल रहमान, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **06.03.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 472 रकबा 06.15 बीघा, खसरा नम्बर 472 रकबा 03.11 बीघा कुल रकबा 10.06 बीघा तथा वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 की संयुक्त खातेदारी व कब्जाकाश्त का खेत खसरा नम्बर 476 रकबा 30.02 बीघा व खसरा नम्बर 477 रकबा 03.11 बीघा वाकै शरहद मण्डाबासनी में अवस्थित है। खसरा नम्बर 472 व 474 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 476 व 477 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 की 1/2 खातेदारी में दर्ज है। नकल पेश है। वादीगण की माता जन्नत व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 के पिता हुसैन का स्वर्गवास हो चुका है।

खेत खसरा नम्बर 476 रकबा 30.02 बीघा व खसरा नम्बर 477 रकबा 03.11 बीघा भूमि वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 के पिता व पति की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रही तथा उक्त खेताय का मौखिक बन्टवारा 1/2 – 1/2 करते हुए खसरा नम्बर 477 की 03.11 बीघा भूमि सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 476 में से 13.06 बीघा कुल 16.17 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 के हक में तथा खसरा नम्बर 476 में से 16.16 बीघा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता स्वर्गीय इब्राहिम संलग्न नजरीनक्शा अनुसार बन्टवारा कर निरन्तर काश्त करते आ रहे हैं। नजरीनक्शा पेश है।..........

प्रार्थना वादीगण है कि–

वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच नजरीनक्शा अनुसार बन्टवारा किया जाकर अलग–अलग खातेदारी घोषित की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 08 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

उपखण्ड कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 40/2018
दायर दिनाँक 12.02.2018, निर्णय दिनाँक 06.03.2018
इसाक, वगैरा बनाम, अब्दुल रहमान, वगैरा।

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश कर दिया गया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री मो0 अल्ताफ हुसेन ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री मो0 अली शेरानी ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के मुताबिक, पक्षकारान् दावा अनुसार डिक्री चाहते हैं।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" जमाबन्दी ग्राम मण्डाबासनी सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 425/311 व 08/08 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय अपना राजीनामा पेश कर दिया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में राजीनामा पेश हो चुका है। राजीनामा पक्षकारान् के मुताबिक दावा डिक्री जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादीगण, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा बख्वाहिश राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद मण्डाबासनी की वाद वर्णित खसरान् की भूमियों का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. **खसरा नम्बर 476 रकबा 30.02 बीघा** में से रकबा 04.13 बीघा भूमि का वादी संख्या 01 को व रकबा 05.10 बीघा एवं रकबा 02.00 बीघा भूमि का वादी संख्या 02 को व रकबा 04.13 बीघा भूमि का वादी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 40/2018
दायर दिनाँक 12.02.2018, निर्णय दिनाँक 06.03.2018
इसाक, वगैरा बनाम, अब्दुल रहमान, वगैरा।

संख्या 03 को तथा रकबा 13.06 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2. **खसरा नम्बर 472 रकबा 06.15 बीघा** में से रकबा 03.07 बीघा भूमि का वादी संख्या 01 को तथा रकबा 03.08 बीघा भूमि का वादी संख्या 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. **खसरा नम्बर 474 रकबा 03.11 बीघा** में से रकबा 02.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को तथा रकबा 01.11 बीघा का वादी संख्या 02 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. **खसरा नम्बर 477 रकबा 03.11 बीघा** सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **06.03.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: **40/2018** दायर दिनाँक **01.02.2018**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. इसाक पुत्र इब्राहिम, **2.** उस्मान पुत्र इब्राहिम, **3.** इदरिस पुत्र इब्राहिम, समस्त,जाति—सिवालवट, निवासी—अमरपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	**1.** अब्दुल रहमान पुत्र इब्राहिम, **2.** दीन मोहम्मद पुत्र हुसैन, **3.** अली मो0 पुत्र हुसैन, (फौत), के वारिशान्— 3/1 जेनब बानो पत्नी स्वर्गीय अली मो0, 3/2 मो0 आरिफ पुत्र स्वर्गीय अली मो0, 3/3 मो0 आसिक पुत्र स्वर्गीय अली मो0, 3/4 मोहसिन पुत्र स्वर्गीय अली मो0, 3/5 रहमत बानो पुत्री स्वर्गीय अली मो0, 3/6 बानो पुत्री स्वर्गीय अली मो0, **4.** चान्द बानो पत्नी हुसैन, **5.** फजलु रहमान पुत्र हुसैन, **6.** मो0 रफीक पुत्र हुसैन, **7.** जान मोहम्मद पुत्र हुसैन, समस्त,जाति—सिलावट, निवासी—डीडवाना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, **8.** तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—88, 53, 188, R.T.Act.

दिनाँक **06.03.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अल्ताफ हुसेन, वकील, वादीगण व श्री मो0 अली शेरानी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा बख्वाहिश राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद मण्डाबासनी की वाद वर्णित खसरान् की भूमियों का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. **खसरा नम्बर 476 रकबा 30.02 बीघा** में से रकबा 04.13 बीघा भूमि का वादी संख्या 01 को व रकबा 05.10 बीघा एवं रकबा 02.00 बीघा भूमि का वादी संख्या 02 को व रकबा 04.13 बीघा भूमि का वादी संख्या 03 को तथा रकबा 13.06 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. **खसरा नम्बर 472 रकबा 06.15 बीघा** में से रकबा 03.07 बीघा भूमि का वादी संख्या 01 को तथा रकबा 03.08 बीघा भूमि का वादी संख्या 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. **खसरा नम्बर 474 रकबा 03.11 बीघा** में से रकबा 02.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को तथा रकबा 01.11 बीघा का वादी संख्या 02 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. **खसरा नम्बर 477 रकबा 03.11 बीघा** सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत..................
....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **06.03.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बावत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)